

03.04.2023:-पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी अधिवक्ता  
उपस्थित। मूल वादपत्र अदम पैरबी / अदम  
हाजरी मे खारिज हो चुका है तो प्रार्थना-पत्र मे  
कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र  
खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र  
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर  
ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से  
कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल  
दफ्तर हो सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर  
एच. उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ़

